एक विचार जिसका समय अभी नहीं आया

लेखक- एस.वाई. कुरैशी (भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

20 जून, 2019

"एक साथ चुनावों पर बहस आवश्यक है लेकिन यह चुनावी प्रक्रिया को साफ और पारदर्शी बनाने के अन्य सुधारों को दूर कर देगी।"

इतिहास में दुनिया के सबसे बड़े चुनाव खत्म होने के एक महीने बाद ही, 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के मुद्दे पर फिर से बहस शुरू हो गयी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो पिछले पाँच वर्षों से इस मुद्दे को हरी झंडी देने को तैयार हैं, ने अब इस विषय पर अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करने का आह्वान किया है।

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 2014 के घोषणापत्र में कहा गया है कि "भाजपा अन्य दलों के साथ विचार-विमर्श करके, विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ कराने का तरीका निकालेगी। राजनीतिक दलों और सरकार दोनों के लिए चुनाव खर्च को कम करने के अलावा, यह राज्य सरकारों के लिए निश्चित स्थिरता सुनिश्चित करेगा।"

लगातार प्रचारक

जनवरी, 2018 में एक समाचार चैनल के साथ एक साक्षात्कार में, प्रधानमंत्री ने निरंतर होने वाले चुनावों के अवगुणों को उजागर किया था। उनका बयान था कि 'एक चुनाव खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है।' उन्होंने तर्क दिया कि यदि संसद, विधानसभा, नागरिक और पंचायत का चुनाव हर पाँच साल में एक बार होता और यह एक महीने के भीतर पूरा हो जाता है, तो इससे धन, संसाधन और श्रमशक्ति की बचत होगी। उन्होंने कहा, यह सुरक्षा बलों, नौकरशाही और राजनीतिक मशीनरी के एक बड़े वर्ग से भी संबंधित है, जिन्हें चुनावी अभियान के नाम पर साल में 200 दिन इधर से उधर भेजा जाता है।

भाजपा के 2019 के घोषणापत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि संसद, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव 'सरकारी संसाधनों और सुरक्षा बलों के कुशल उपयोग तथा प्रभावी नीति नियोजन सुनिश्चित करते हैं।' यह कहा जाता है कि पार्टी 'सभी पक्षों के साथ इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने की कोशिश करेगी'। प्रधानमंत्री ने सुधार और आम सहमति के निर्माण की भावना के अंतर्गत 19 जून को इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और इस मुद्दे को पुनः पुनर्जीवित किया।

ओडिशा के फिर से चुने गए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 15 जून को पहले ही इस विचार का स्वागत करते हुए कहा है कि लगातार चुनाव विकास के माहौल को प्रभावित करते हैं और इसलिए देश में एक साथ चुनाव होना देश के हित लिए बेहतर साबित होगा।

विधि आयोग ने लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनावों को 1999 में एक साथ कराने की सिफारिश की थी। भाजपा के एल.के. आडवाणी ने 2010 में एक सुविचारित ब्लॉग पोस्ट में इस विचार का समर्थन किया था। इस मामले की जाँच दिसंबर, 2015 में एक संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई थी और इसे भारतीय चुनाव आयोग (EC) को भेज भी दिया गया था। दोनों ने सैद्धांतिक रूप में इसका समर्थन किया।

वास्तविक चिंताएँ

पहली, चुनाव लड़ना अधिक कठिन होता जा रहा है। 2019 का आम चुनाव रिकॉर्ड पर सबसे महंगा था; संपूर्ण अभ्यास पर कथित रूप से 60,000 करोड़ खर्च किए गए थे। यह देखते हुए कि राजनीतिक दलों द्वारा किए गए व्यय पर कोई रोक नहीं है वे हर चुनाव में अंधाधुंध धन खर्च करते हैं और इसलिए यहाँ यह तर्क दिया जा रहा है कि एक साथ चुनाव इस लागत को कम करने में मदद् करेंगे।

दूसरी, लगातार चुनाव सरकार के सामान्य कामकाज में बाधा डालते हैं और नागरिक जीवन को भी बाधित करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा करते ही आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार इस अवधि के दौरान किसी नई योजना की घोषणा नहीं कर सकती है। यह अक्सर नीतिगत पक्षाघात के रूप में संदर्भित होता है। सरकार किसी भी नई नियुक्ति या अधिकारियों को स्थानांतरित/नियुक्त नहीं कर सकती है। पूरी सरकारी जनशक्ति चुनाव के संचालन में शामिल हो जाती है।

मैं (लेखक) यह भी कहना चाहूंगा कि चुनाव ऐसे समय होते हैं जब सांप्रदायिकता, जातिवाद और भ्रष्टाचार अपने चरम पर होते हैं। बार-बार होने वाले चुनावों से आशय है कि इन समस्याओं से कोई राहत नहीं मिलने वाली है।

चुनाव आयोग के दृष्टिकोण से, एक साथ चुनाव सही अर्थ बनाते हैं क्योंकि तीनों स्तरों के मतदाता एक ही हैं, मतदान केंद्र एक समान हैं और स्टाफ/सुरक्षा भी समान है। इस प्रकार 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का सुझाव तर्कसंगत लगता है।

अड़चन क्या है?

हालांकि, इस विचार में कुछ अड़चनें हैं। उदाहरण के लिए, 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' लोकसभा के समयपूर्व विघटन के मामले में कैसे काम करेगा? उदाहरण के लिए, 1990 के दशक के अंत में जब सदन पाँच साल का कार्यकाल पूरा होने से बहुत पहले ही भंग हो गया था। ऐसी स्थिति में, क्या हम सभी राज्य विधानसभाओं को भी भंग कर देंगे? इसी तरह, राज्य विधानसभा अगर भंग हो जाती है तो क्या होगा? क्या पूरा देश फिर से चुनाव में उतरेगा? यह सैद्धांतिक रूप में और लोकतंत्र के अभ्यास में दोनों के लिए अविश्वसनीय लगता है।

दूसरी, आदर्श आचार संहिता अवधि के दौरान सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन में केवल नई योजनाओं को रोक दिया जाता है क्योंकि ये चुनाव की पूर्व संध्या पर मतदाताओं को लुभाने या रिश्वत देने के समान हो सकता है। सभी चल रहे कार्यक्रम अनछुए रहते हैं। यहाँ तक कि नई घोषणाएं जो तत्काल जनहित में हैं, उन्हें भी चुनाव आयोग की पूर्व स्वीकृति के साथ किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, लगातार चुनाव जवाबदेही के लिए इतने भी बुरे नहीं हैं क्योंकि यह ये सुनिश्चित करते हैं कि राजनेता नियमित रूप से मतदाताओं के समक्ष आते रहेंगे। जमीनी स्तर पर काम के अवसरों का सृजन एक और अनुकूल पहलू है। सबसे महत्वपूर्ण विचार निस्संदेह संघीय भावना है जो अन्य बातों के साथ यह आवश्यक बनाता है कि स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों को न मिलाया जाए। अब, जैसा कि बहस फिर से शुरू हो गई है, सुधारों की एक श्रृंखला की आवश्यकता पर व्यापक विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। जब तक यह विचार राजनीतिक सहमति प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक लगातार चुनाव के कारण होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए दो वैकल्पिक सुझाव मौजूद हैं।

सबसे पहला, राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी अभियान के दौरान किये जाने वाले खर्च को सीमित कर अनियंत्रित अभियान व्यय की समस्या को दूर किया जा सकता है। इस प्रदर्शन के आधार पर राजनीतिक दलों की राज्य फंडिंग पर भी विचार करने लायक सुझाव है। निजी और कॉर्पोरेट निधि संग्रह पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

दूसरा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल उपलब्ध करा कर मतदान की अवधि को दो-तीन महीने से घटाकर लगभग 33 से 35 दिन तक किया जा सकता है। बहु-चरणबद्ध चुनाव से जुड़ी समस्याएं जटिल हो रही हैं। हिंसा, सोशल मीडिया से संबंधित संक्रमण और आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन से संबंधित मुद्दे जो एक अस्थिर रूप से चलने वाले चुनाव में अपरिहार्य हैं, यदि एक ही दिन में चुनाव होता है तो ये खत्म हो सकते हैं। बस जरूरत है कि अधिक बटालियन जुटाने की। इससे रोजगार सृजन में भी मदद् मिलेगी।

एक स्वस्थ बहस

यह निर्विवाद है कि एक साथ चुनाव एक दूरगामी चुनावी सुधार होगा। यदि इसे लागू किया जाना है, तो एक ठोस राजनीतिक आम सहमति बनाने की आवश्यकता है और व्यापक चुनावी सुधारों का एक एजेंडा इसका पूरक होना चाहिए। पक्ष-विपक्ष पर उचित रूप से मूल्यांकन करने की आवश्यकता है और व्यावहारिक विकल्प को ईमानदारी से अपनाने की आवश्यकता है। यह अच्छा है कि सरकार जबरन इसे आगे बढ़ाने के बजाय इस विषय पर बहस को प्रोत्साहित कर रही है।

अगला संरचनात्मक परिवर्तन

लेखक-अखिलेश मिश्रा (सीईओ, ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

20 जून, 2019

"चुनावी प्रणाली में विकृतियों को दूर करने के लिए एक साथ चुनाव की आवश्यकता होती है।"

क्या आर्थिक सुधार होने चाहिए? लगभग सहज रूप से, ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब सकारात्मक रूप में देंगे। लेकिन सुधार क्यों जरूरी हैं? इसकी दिशा में वैचारिक और धारणीय परिवर्तनों को छोड़कर, ज्यादातर समय, सुधार आवश्यक होता है क्योंकि प्रक्रियाएं आमतौर पर लंबी अवधि में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करती हैं जितना वे अल्पावधि में करती हैं।

अब, अगर यह अर्थव्यवस्था के लिए सच है, तो क्या यह अन्य पहलुओं के लिए समान रूप से सच नहीं होगा अर्थात् चुनाव कराने की प्रक्रिया में? 'वन नेशन, वन इलेक्शन' यानि "एक राष्ट्र, एक चुनाव" के लिए नवीनीकृत पहल को यदि प्रक्रिया सुधार या सुधारों के संदर्भ में समझा जा सकता है। साल भर के चुनावी चक्र के कारण जो विकृतियाँ सामने आई हैं, वे क्या हैं?

सबसे पहला, राज्यसभा ने लोगों की वर्तमान इच्छा को प्रतिबिंबित करना बंद कर दिया है। नहीं, यह कोई तर्क नहीं है जो इस बात पर जोर देता है कि राज्यसभा को लोकसभा के जनादेश की वास्तविकता को प्रतिबिंबित करना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों ने इसके लिए एक प्रशंसनीय मामला बनाया है। लेकिन क्या राज्यसभा के सदस्यों को अपने राज्य के जनादेश की वर्तमान इच्छा को प्रतिबिंबित नहीं करना चाहिए? इस स्थिति पर विचार करें कि राज्यसभा सांसद के लिए एक निश्चित अवधि (छह वर्ष) निर्धारित है। ग्यारह राज्यसभा सदस्य जून, 2016 में उत्तर प्रदेश से चुने गए थे: उनमें से सात सपा से थे, दो बसपा से और सिर्फ एक-एक भाजपा और कांग्रेस से थे। इन परिणामों ने यूपी की तत्कालीन राज्य विधानसभा की वास्तविकता को दर्शाया है। ये सीटें जून, 2022 में फिर से चुनाव के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। इस बीच, राज्य के लोगों ने मार्च, 2017 में भाजपा के पक्ष में निर्णायक मतदान किया। यूपी विधानसभा का फरवरी-मार्च 2022 में होने वाले कार्यकाल तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा।

दूसरा, पश्चिम बंगाल के मामले का उदाहरण लेते हैं, जिसमें विधानसभा चुनाव के दो साल के अंदर ही केंद्र एवं राज्य में भिन्न सरकारों के कारण दोनों के मध्य गंभीर टकराव देखने को मिला है। इसके कारण संघीय सहयोग की भावना कमजोर हुई है। 2019 के आम चुनावों से पहले, आयुष्मान भारत को निलंबित कर दिया गया था, पीएम किसान को लागू नहीं किया गया था, सीबीआई अधिकार क्षेत्र लगाया गया था। यहाँ तक कि एक प्राकृतिक आपदा भी मुख्यमंत्री को केंद्र के साथ सहयोग करने के लिए राजी नहीं कर सकी। आम चुनाव अब खत्म हो गए हैं लेकिन क्या स्थिति सामान्य हो गई है? नहीं, क्योंकि राज्य के चुनाव में दो साल से कम समय बचा है।

तीसरा, हालांकि सरकारें पाँच साल के लिए नाममात्र चुनी जाती हैं, लेकिन आदर्श संहिता का लगातार लागू होना हर कुछ महीनों में निर्णय लेने और लागू करने को निलंबित कर देता है। वैकल्पिक रूप से, लिया गया हर फैसला अगले दौर के चुनावों के चश्मे से देखा जाता है। इसने उन विचारों के लिए जगह खाली कर दी है, जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन तत्काल चुनाव के लिए सुस्पष्ट नहीं हो सकते हैं।

चौथा, चुनावी लोकतंत्र की प्रतिस्पर्धी प्रकृति अनिवार्य रूप से सबसे आसान वादा करने का जरिया बन गयी है। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने दिल्ली मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त सवारी देने का वादा किया है।

पाँचवां, सोशल मीडिया के सर्वव्यापी स्वभाव का अर्थ है कि लगभग हर व्यक्ति अब केवल एक सूचित राजनीतिक प्राणी नहीं है, बल्कि वह भागीदारी करने वाला राजनीतिक प्राणी है। एक बार जब आप एक राजनीतिक मुद्दे पर अपनी एक स्थिति अपना लेते हैं, तो आप राजनीतिक लेंस के साथ भाग लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह पूरी तरह से चुनाव के बाद सुलह की स्थिति को समाप्त कर देता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए 'वन नेशन, वन इलेक्शन' का मुद्दा फिर से उठाया है। एक साथ चुनाव के विचार को लागू करने के लिए कई मॉडल प्रस्तावित किए गए हैं। जीएसटी पर सहमति बनाने में हमें लगभग एक दशक लग गए। "वन नेशन, वन इलेक्शन" भी एक समय के संरचनात्मक परिवर्तन के बारे में है। पहले विभिन्न चक्रों को सरेखित करें और फिर आम सहमति से एक संरचना तैयार करें, जो आने वाले दशकों तक हमारी सेवा कर सके। यह एक विचार है जिसका समय अब आ गया है।

GS World टीम...

'एक देश, एक चुनाव'

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक राष्ट्र, एक चुनाव के मुद्दे पर विचार करने लिए एक समिति की गठित की जाएगी, जो निश्चित समय-सीमा में अपनी रिपोर्ट देगी।
- इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी।
- विधि आयोग ने पिछले साल अगस्त में 'एक देश, एक चुनाव' के नियम को लागू करने के लिए लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल वाले संविधान के अनुच्छेद-83 (2) और अनुच्छेद-172 (1) में संशोधन और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम लाने का सुझाव दिया था।
- 'एक देश, एक चुनाव' नया नहीं है। साल 1952, 1957, 1962, 1967 में एकसाथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं।
- लेकिन ये सिलसिला 1968-69 में तब टूट गया, जब कुछ राज्यों की विधानसभाएं वक्त से पहले ही भंग हो गईं।

आवश्यक क्यों?

- स्थिरता और आर्थिक विकास प्रभावित
- आदर्श आचार संहिता का मुद्दा
- सुरक्षा का मुद्दा
- **चुनाव:** एक अविराम प्रक्रिया

पक्ष में तर्क

- चुनावों पर होने वाले भारी व्यय में कमी
- चुनावों में होने वाले काले धन के प्रवाह पर अंकुश लगेगा
- कर्मचारियों के प्राथमिक दायित्वों का निर्वहन
- लोगों के सार्वजनिक जीवन में कम होंगे व्यवधान
- सीमित आचार संहिता के कारण सक्षम प्रशासन
- सांसदों और विधायकों का कार्यकाल एक ही होने के कारण उनके बीच समंवय बढ़ेगा।

विपक्ष में तर्क

- संवैधानिक प्रावधान की कमी
- नियंत्रण एवं संतुलन व्यवस्था का लोप संभव
- संघीय ढाँचे के विरुद्ध
- चुनावों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को वैकल्पिक रोजगार प्राप्त होता है। एक साथ चुनाव न कराए जाने से बेरोजगारी में वृद्धि होगी।
- यदि किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इन परिस्थितियों में भी चुनाव आवश्यक हो जाता है।
- देश भर में एक साथ चुनाव कराने के लिये पर्याप्त संख्या में अधिकारियों व कर्मचारियों की आवश्यकता होगी।
- एकीकृत चुनावों में राष्ट्रीय पार्टियों के मुकाबले क्षेत्रीय दलों को नुकसान हो सकता है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-**

   1. भारत में संविधान लागू होने के पश्चात् लोकसभा एवं विधान सभा का चुनाव एक साथ अब तक तीन बार हुआ है।
   2. भारत में अब तक एक साथ चुनाव कभी नहीं हुआ है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Consider the following statements-**

   1. After the constitution of India, the election of the Lok Sabha and the Legislative Assembly has been held three times so far.
   2. There has never been an election in India so far.

   Which of the above statements is/are correct?

   (a) Only 1 (b) Only 2
   (c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

Expected Questions (Mains Exams)

प्रश्न: "एक राष्ट्र एक, चुनाव" जैसा प्रावधान भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले लोकतांत्रिक देश के लिए लागू करना कहाँ तक प्रासंगिक है? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Q. **How far is it relevant to apply the provision like 'One Nation, One election' to the vast populous democratic Country like India? Discuss. (250Words)**

नोट : 19 जून को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d) होगा।

Committed To Excellence